

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

सूचना

दिनांक:-04.09.2021

नाम:- सहजादी खातुन
पिता/पति:- मुजीब अहमद
गाँव:-असना, कोडरमा।

वजरिये इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना सं0-245 थाना-तिलैया में NH-31 के 4-लेनिंग चौड़ीकरण हेतु खाता सं0-12 प्लॉट सं0-1304 पर अवस्थित भूमि एवं संरचना का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय के अवॉर्ड सं0-01(ग)

दिनांक:-03.05.2021 के द्वारा आपको पूर्ण मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक-10.09.2021 तक निश्चित रूप से संरचना को हटा लें अन्यथा उसे बल-पूर्वक हटा दिया जायेगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
सह-समक्ष पदाधिकारी,
एन0एच0-31, कोडरमा।

شہزادی شنیز

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन०एच० एकट-1956 की धारा 31 के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या:-1182

दिनांक.....16/07/2021

भू-अर्जन वाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-2(xii)

पंचाटी का नाम:-सहजादी खातुन पति-मुजीब अहमद साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन०एच० एकट-1956 के तहत बरही से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-3,25,393.00 (तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ तिरानबे रुपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजुर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक 22/07/2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	21	1301	0.0060	आवासीय

आवश्यक कागजात

- 01. अद्यतन लगान रसीद
- 03. खतियान का प्रति
- 05. बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
- 07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
- 09. आधार कार्ड
- 11. पैन कार्ड
- 02. केवला का छायाप्रति
- 04. शपथ पत्र
- 06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
- 08. मतदता पहचान पत्र
- 10. वंशावली(अंचल अधिकारीद्वारा निर्गत)
- 12. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C)
(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)



सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।
(एन०एच० एकट-1956 के तहत)

मैंने पढ़ा है।

कोडरमा समाइच्छालय, कोडरमा
कायली जिला भू-अर्जन प्राधिकारी सह सम्पादन प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजगांव प्राधिकारण प्राधिकारण 1956 के अन्तर्गत) कोडरमा

संशोधित नोटिस

प्राप्तिक्रम 1956 की आपत्ति के अनुसार

स्थान:- कोडरमा

संख्या:- 19/08

मित्रांक 09/12/2020

भू-अर्जन चाव सं०:- 09/2014-15

ग्रन्थाद भी नं०:- 1(ग)

पंचांग का नाम:- सहजाई खातुन परिमुखी बाहमद सामिन-आसना।

बजीरीये नोटिस आपको भूमि का भिन्ना आता है कि आपके शावे के अनुसार निम्न घटित भूमि का अधिकारण प्राप्तिक्रम 1956 के तहत भली से रजौली तक फौरलेन चौकीकरण परिवर्तना अन्तर्गत अधिकारण किया गया है, जिसके विस्तृत आपको ₹०-10,86,006.00 (वस लाल छियासी हजार रुपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लैंगा गंगा हो तो आप इसे अथवा अपने प्राधिकृत अधिकारों के माध्यम से अंजित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व पर्व वावल से संबंधित प्राप्ति गम एवं निम्नलिखित बागजातों के साथ दिनांक 1.6.12/20...तक अधीकस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं किया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जीचोपरीत गुआवजा प्राप्तान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत चावा किये जाने पर आपके विस्तृत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं०	खाता नं०	फ्लॉट नं०	अंजित रकम (एकड़ रु.)	भूमि का किया
असना/245	12	1304	0.0075	आवासीय

आवश्यक बागजात

- 01. अद्यतम लगान रसीद
- 03. खतियानी हो तो खतियान
- 05. बन्ध पत्र(कार्यपालक दण्डनायिकी लिखित नियम)
- 07. दो फोटो पासपोर्ट साइज
- 09. आधार कार्ड
- 11. पैन कार्ड
- 02. कैमाला का छापाप्रति
- 04. शपथ पत्र
- 06. वैक पासपुक का छापाप्रति
- 08. गतना पहचान पत्र
- 10. बैशाखी(अमल अधिकारीहरा नियम)
- 12. भू-स्वामित्व प्राप्ति पत्र (L.P.C)
(अमल अधिकारी द्वारा नियम)



उपरान्त
नियम
१२.१२.२०

09/12/20
भूमि प्राधिकारी-सह-
नियम भू-अर्जन प्राधिकारी
कोडरमा।
(प्राप्तिक्रम प्रति-1956 की सदृश)

मैरिज फैसल